न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुकत, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

1. राजस्व अपील संख्या 380/2018
2. स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 47/2018

चिमाराम पुत्र जेठाराम फौत के
का0मु0 पुरोदेवी वगैरा
बनाम
राज0 सरकार वगैरा

दिनांक 5 .02.2026

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा अन्तर्गत धारा 131, 136 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व आवेदन संख्या 301/2017 बअनवान तहसीलदार बाडमेर बनाम लुंभाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 25.05.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपील के साथ पृथक से स्थगन प्रार्थना पत्र मय श0प0 प्रस्तुत किया गया, जो दर्ज स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 47/2018 अपील प्रकरण के साथ सुनवाई में चलता रहा। स्थगन प्रार्थना पत्र की आदेशिका दिनांक 20.08.2018 के अनुसार वकील अपीलांट को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना जाकर, तत्का0 पीठासीन अधिकारी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब करने का आदेश पारित किया गया। इस प्रकार प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा किसी प्रकार का स्थगन आदेश पारित नही किया गया है।

हस्तगत प्रकरण में दिनांक 21.01.2026 को बहस सुनी जाकर पत्रावली निर्णय हेतु रखी गई। दिनांक 02.02.2026 को वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र बाबत "स्थगन प्रार्थना पत्र पर आवश्यक सुनवाई हेतु" प्रस्तुत कर तहसीलदार बाडमेर द्वारा रास्ता खुलवाने का जिक करते हुए अपील का निर्णय आने तक अपीलार्थी के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही रोकने हेतु मौका एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश पारित करने का आग्रह किया गया। वकील अपीलांट द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र की प्रति प्रत्यर्थी अधिवक्ताओं दिये बिना प्रस्तुत किया गया तथा इसके साथ नोटिस प्रस्तुत नही किए गये। इस स्थिति में प्रकरण में अंतिम बहस सुनने के बाद उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकतरफा सुनवाई करना विधिक प्रावधानों के सर्वथा विरूद्ध होने से उक्त प्रार्थना एवं अपील के साथ प्रस्तुत

5/2/26.
अतिरिक्त संभागीय आयुकत
जोधपुर

स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 47/2018 को खारिज किया जाकर, प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित समझा गया।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय श0प0 प्रस्तुत किया गया, जो न्यायहित में स्वीकार कर प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

वकील अपीलांट श्री लाधूराम पूनिया एवं प्रत्यर्थी सं0 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री नवलसिंह दहिया एवं प्रत्यर्थी सं0 58 व 72 के अधिवक्ता श्री मनीष सुराणा व श्री सत्यनारायण राजपुरोहित उपस्थित।

बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश द्वारा तहसील बाडमेर स्थित ग्राम फूसाणियों का तला (जाखड़ो की ढाणी), के खसरा नम्बर 303/164, 304/164, 233/152, 324/452, 325/152, 156, 337/63, 227/63, 65, 167, 169, 172, 174, 291/162, 294/162, 293/162, 237/162, 305/164, 306/164, 234/152, 325/ 152 में से उल्लेखित रकबा भूमि की किस्म राजस्व रेकर्ड में गै0मु0 रास्ता परिवर्तित करने एवं नक्शा (लट्ठा) ट्रेस में दुरूस्ती करने का आदेश पारित किया गया है। उक्त खसरान में से अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0नं0 167 रकबा 115.06 बीघा में से 0.12 बिस्वा भूमि सहित 17.08 बीघा भूमि को स्थायी रास्ते के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज करने एवं नक्शें में तरमीम करने का आदेश पारित किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आवेदन को शून्य तारीख में दर्ज कर खातेदारान को नोटिस जारी किए जाने का आदेश देकर पत्रावली 25.05.2017 को सुनवाई में रखी गई, इसकी पालना में अपीलार्थी को व्यक्तिगत नोटिस जारी नही किया गया। जो संयुक्त नोटिस जारी किया गया उसकी प्रति अपीलार्थी को नही मिली, जिससे उसे सुनवाई, जवाब एवं उजर एतराज प्रस्तुत करने का अवसर नही मिला एवं बाले–बाले आदेश पारित कर दिया गया। रास्ते का प्रार्थना पत्र तहसीलदार बाडमेर को प्रस्तुत करने का अधिकार नही है, तहसीलदार केवल भूमि अवाप्ति करके रास्ता घोषित करवा सकता है। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यथी सं0 1–तहसीलदार बाडमेर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130, 131 व 136 में स्वीकार कर विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की है, अपीलाधीन कार्यवाही 136 की परिधि में नही आने से तथा अपीलाधीन आदेश बिना जांच पारित होने से खारिज

योग्य है। अपीलार्थी की भूमि में से कोई रास्ता पूर्व में नही चलता है, मौका फर्द अपीलार्थी की गैर मौजूदगी में अपीलार्थी को बिना सूचना दिये तैयार की गई है। उक्त भूमि सार्वजनिक रास्ते में ली गई है व सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ते के लिए अवाप्ति की कार्यवाही नही की गई है, बिना अवाप्ति की कार्यवाही किए अपीलार्थी के खातेदारी अधिकार समाप्त नही किए जा सकते है। अपीलाधीन आदेश राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10.08.2016 के तहत पारित किया गया है, उक्त आदेश आर.टी.एक्ट एवं आर.एल. आर.एक्ट के प्रावधानों के खिलाफ होने से अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश व प्रत्यर्थी सं0 1 का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में प्रत्यर्थी अधिवक्ताओं ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि अपीलाधीन आदेश तहसीलदार बाडमेर के प्रस्ताव पर राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राज0 जयपुर के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के तहत पारित किया गया है। प्रस्ताव में अंकित खसरान में ग्राम फूसाणियों का तला (जाखड़ों की ढाणी) में स्थायी रास्ता ग्राम तलिया सनावडा से स्वामियों की होदी तक चलायमान है। उक्त रास्ता मौके पर स्थायी रूप से चालू (कदीमी) होने, किंतु राजस्व अभिलेख में दर्ज नही होने से, दर्ज करने हेतु प्रस्तावित किया गया है। उक्त रास्ता कुल 21 खसरान में से 17.08 बीघा सार्वजनिक रूप में पारित किया गया है। आलौच्य प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदार/सह–खातेदारों की सुनवाई/अपना पक्ष रखने हेतु जरिये कमांक 1242 दिनांक 04.05.2017 द्वारा संयुक्त नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में उल्लेख अनुसार नियत सुनवाई दिनांक 25.05.2017 को "न्याय आपके द्वारा अभियान–2017" में अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई, इससे जाहिर है कि उक्त रास्ते में तत्समय किसी को आपत्ति नही थी, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संयुक्त रूप से जारी नोटिस की तामिली रिपोर्ट संलग्न है, जिसके कम संख्या 10 पर अपीलांट चिमा/जेठा के घर पर इनके पुत्र नानगाराम को नोटिस देने व उसके द्वारा नोटिस पर हस्ताक्षर करने से इंकार करने का उल्लेख किया हुआ। अतः वकील अपीलांट का यह कथन कि उसे व्यक्तिशः नोटिस नही मिला, मानने योग्य नही है। हस्तगत अपील में वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2073–76 की प्रति में उल्लेख अनुसार अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.05.2017 की पालना राजस्व

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

रेकर्ड एवं मौके पर हो चुकी है। जिसके विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष हस्तगत अपील दिनांक 09.08.2018 को करीब 14 ½ माह बाद प्रस्तुत की गई है, जो मियाद बिन्दु पर ही खारिज योग्य है। अतः उक्त रास्ता सार्वजनिक हित में पारित होने से अपील खारिज कर अपीलाधीन आदेश यथावत रखने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया तथा प्रकरण में तहसीलदार बाडमेर के प्रस्ताव व उसके संलग्न आंशिक नक्शे किश्तवार तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त कार्यवाही तहसीलदार बाडमेर के प्रस्ताव पर राजस्व (ग्रुप–6) राज0 जयपुर के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के तहत पारित किया गया है। आलौच्य प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदार/सह–खातेदारों की सुनवाई/अपना पक्ष रखने हेतु जरिये कमांक 1242 दिनांक 04.05.2017 द्वारा संयुक्त नोटिस जारी किया गया था, जिसकी तामिली रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। अतः वकील अपीलांट का यह कथन कि उसे व्यक्तिशः नोटिस जारी नही किया गया अथवा नोटिस नही मिला, यह मानने योग्य नही है। क्योंकि उक्त नोटिस एक ही ग्राम के बहुत से व्यक्तियो/खातेदारो/सह–खातेदारों को संयुक्त रूप से जारी किया गया है। इस स्थिति में आलौच्य प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.5.17 में सार्वजनिक हित को देखते हुए, अब किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही पायी जाने से तद्नुसार खारिज की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 301/2017 बअनवान तहसीलदार बाडमेर बनाम लुंभाराम वगैरा में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.05.2017 को यथावत रखा जाता है

निर्णय आज दिनांक 5-2-26 को खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। दोनों ही पत्रावलीयां फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा निर्णय की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली में संलग्न की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावे।

5.2.26.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर